

भारतीय और न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE  
HUNDRED RUPEES

सर्वोच्च बंपत्ति

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

31 JUN 2023



PRADESH

FZ 884335

१० रुमेशा दान्द पाठ्यकृ डॉ श्री रामननन पाठ्य निवाली श्री  
गोपनीय, जकुर्पुर आलेक्टो नोटर ऑफिस / लेटर / लिंग  
श्री कुला देवी श्रीमिति रमेश लम्ही द्वारा



१०८

निवाली

निवाली

निवाली

पुस्तकालय की संख्या ४

८५०८२१ पार्ट ०८

पुस्तकालय की संख्या ४

८५०८२१ पार्ट ०८

८/३ श्रीरामपुर अन्धाखुर छोलेश्वर मंगर

लिखने वाले का नाम  
लिखने वाले का नाम  
दिनांक की तिथि ११/०३/२०२०  
प्रशासन का नाम प्रधानमंत्री



# प्रारूप - अ

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सोसाइटी / ट्रस्ट  
के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ - पत्र का प्रारूप

हम अर्चना पाठक एवं श्रीरमेश लन्द पाठक क्रमशः  
अध्यक्ष एवं सचिव  
शपथपूर्वक निम्नवत् व्यापार करते हैं -



हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा आर्चना पाठक द्वारा दिया गया भूमि अधिकारीयालय  
डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम  
आर्चना पाठक, लघु उभयं द्वारा दिया गया भूमि अधिकारीयालय, मीरानगर अम्बिल  
110,177, 169, 173, 4000, 2630, 2500, 1420  
(गांगा संख्या) एवं रकबा क्रमशः एवं हेक्टेयर (कुल  
रकबा 10610 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है,  
और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गांगा संख्या ..... एवं .....  
110,177, 169, 173, 4000, 2630, 2500, 1420  
रकबा क्रमशः ..... एवं ..... हेक्टेयर कुल रकबा 10610 हेक्टेयर)

पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी  
/ ट्रस्ट की बैठक दिनांक १०-०८-२०२४ द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्रगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु नियमों का  
निर्माण, अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर  
निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण  
हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के  
नियमों के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से समबद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।



उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० लखनऊ से समबद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अनुसार ही सुसज्जित किसी अन्य परिषद्/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / संबद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरक्षण में मानकानुसार कोई कमी पायी जाती है तो परिषद् की निरक्षण एवं निरिक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी नियमानुसार में पूर्ण रूप से सत्य है यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूरकर्त्ता या उत्तीर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।